न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 10/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/35

प्रार्थी :—
गणेशराम पुत्र रामाराम, निवासी—रामवास कलां, तहसील—जैतारण, जिला—पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1. ग्राम पंचायत लौटोती, पंचायत समिति जैतारण जिला—पाली जरिये सरपंच
2. ग्राम पंचायत रामावास कलां, पंचायत समिति जैतारण जिला—पाली जरिये सरपंच।
3. ढगलाराम पुत्र स्व. रतनाराम
4. सुखदेव पुत्र ढगलाराम
5. मांगीलाल पुत्र भूराराम
6. रूपाराम पुत्र मांगीलाल
7. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल
8. बगदाराम पुत्र कानाराम
9. चम्पालाल पुत्र पेमाराम

जातिगण— कुमावत, निवासीगण—रामावास कलां, तहसील—जैतारण जिला—पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 19.04.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत लौटोती द्वारा संकल्प संख्या 44 दिनांक 10.10.1981, की पालना में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.10.1981 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं उसके भाई बाबुलाल का खरीदसुदा अधिकार एवं आधिपत्य का एक रहवासीय मकान मय परिसर मौजा रामावास कलां तहसील जैतारण जिला—पाली में जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सड़क के पूर्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना भवन के दक्षिण मे बनाप 107 बाई 107 फीट का स्थित है जो प्रार्थी व उसके भाई बाबुलाल द्वारा सरपंच एवं ठाकुर गोविन्दसिंहजी के वारिसान शम्भूसिंह वगैरा से जून 2018 में खरीद किया गया था जिसका बेचाण इकरारनामा प्रार्थी व उसके भाई बाबुलाल के पक्ष में दिनांक 3.8.2018 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित किया गया। जिसके पड़ोस इस प्रकार है :— उत्तर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदिवारी, दक्षिण में पानी टंकी, जलदाय विभाग कार्यालय, प्रार्थी के मकान में जाने का 12 फीट रास्ता तथा खीयाराम पुत्र गोकलराम गुर्जर का बाडा है, पूर्व में चैनाराम पुत्र

जिला कलेक्टर, पाली

घीसाराम गुर्जर का मकान है, पश्चिम में प्रार्थी के मकान का रास्ता स्थित है। प्रार्थी के मकान में प्रवेश हेतु पश्चिम में 15 फीट का रास्ता है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते सहित सार्वजनिक प्याऊ की भूमी पर पट्टीया रोपकर व तारबन्दी कर अवैध कब्जा कर लिया। प्रार्थी द्वारा इस बाबत् आपति करने पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमी का जैर निगरानी पट्टा होना बताया। इस पर प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे बाबत ग्राम पंचायत में छानबिन करने पर कोई रेकर्ड नहीं पाया गया। अतः उक्त फर्जी जैर निगरानी पट्टे के आधार पर जैर निगरानी आराजी पर कब्जा किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा 109 बाई 344 वर्गफीट अर्थात 37496 वर्गफीट क्षेत्रफल का है जो लगभग 2 बीघा से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का है ग्राम पंचायत को इतने बड़े क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टे का नक्शा बनाने में जो पैमाना उपयोग लिया गया उसके अनुसार पट्टे की भूमी का नाप मेल नहीं खा रहा है। तथा जैर निगरानी पट्टे के नाप में कांटछांट कर पट्टे में अंकित 10 बाई 44 फीट को 109 बाई 344 फीट किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त जैर निगरानी आराजी तत्कालीन सरपंच गोविन्दसिंहजी की पुश्तैनी भूमी थी। जिसमें से उनके वारिसान ने प्रार्थी सहित अन्य लोगों को भूखण्ड बेचाण किये है। सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु भी उनके द्वारा पी.एच.ई.डी. आदि को भी दी है। उक्त जैर निगरानी पट्टे की भूमी गोविन्दसिंहजी द्वारा पट्टाधारक रतनाराम पुत्र भूराराम को बेचाण व अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की ऐसा कोई प्रमाण अप्रार्थीगण के पास नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टे के अलावा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या चार, छः व सात के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 5 मांगीलाल ने अपने सरपंचकाल के दौरान जारी किये है जिनकी निगरानी भी श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा सहित ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा सुखदेव पुत्र ढगलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 21/09/2004 तथा रूपाराम,, शंकरलाल पुत्रगण मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5 अदिनांकित के कुटरचित होने तथा रास्ते व सार्वजनिक भूमी के साथ प्याउ की भूमी पर कब्जा करने की एक रिपोर्ट पुलिस थाना जैतारण व पुलिस अधीक्षक, पाली को पेश की है जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। जैरनिगरानी पट्टा रतनाराम पुत्र भूराराम के नाम के नाम जारी किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या तीन से नौ सभी अपने आपको रतनाराम के वारिस कहते है तथा इस आधार पर रास्ते व सार्वजनिक भूमी व प्याउ की भूमी तथा ग्राम पंचायत की दुकान पर अवैध कब्जा किया है। अतः जैर निगरानी आराजी पर फर्जी पट्टे के आधार पर अवैध कब्जा किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे से संबंधित मिसल, आदेश, प्रस्ताव आदि दस्तावेजों की नकलें अप्रार्थी संख्या 1 से आवेदन कर मांगने पर संबंधित रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने बाबत दिनांक 23.12.2020 को जरिये पत्र सूचित किया। अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत लौटोती से ग्राम पंचायत रामावास कलां बनी तभी रेकर्ड अस्त व्यस्त हुआ होगा। प्रार्थी केवल इकरारनामें के आधार पर अपना अधिकार बता रहे है तथा पट्टे को कूटरचित बता रहे है यदि जैर निगरानी पट्टा कूटरचित है तो पुलिस द्वारा अनुसंधान से साबित होगा। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी जैर निगरानी आराजी को गोविन्दसिंह की पुश्तैनी भूमी बता रहे है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। ग्राम पंचायत

जिला ... पाली

द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया उसका फायदा उठा रहे है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थी की ओर से दिनांक 3.8.2018 को निष्पादित तथाकथित बेचान इकरारनामा के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो विधिनुसार सम्यक रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकृत नहीं है अतः उसे विधिनुसार इम्पाउण्ड कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित करावे तथा जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा 109 बाई 344 वर्गफीट अर्थात 37496 वर्गफीट क्षेत्रफल का है जो लगभग 2 बीघा से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का जारी किया गया है जबकि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार ग्राम पंचायत को केवल 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है। अतः उक्त जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर जारी किया गया है जो ab initio void होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार किया जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्राधिकार विहीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही करने वाले कार्मिक व अन्य सम्बन्धितों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि यदि उक्त ग्राम पंचायत में अन्य क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाहियां हुई हो तो उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। साथ निगरानी के संलग्न दिनांक 03.08.2018 को निष्पादित बेचाण इकरार की प्रति उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक पाली को आवश्यक स्टाम्प शुल्क वसूलने की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली